

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 152/2015
संस्थित दिनांक 31.03.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रु द्ध

कमल पिता दयाराम भील, उम्र 23 वर्ष,
निवासी ग्राम गांगली थाना मनावर

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ – श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक – श्री आर.के. श्रीवास

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 07-11-2016 को घोषित)

1— थाना अंजड के अपराध क्रमांक 33/2015 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 08.02.2015 को सुबह लगभग 9:30 बजे धनगर कॉलोनी ठीकरी रोड अंजड में अपने मोबाईल नम्बर 8889846652 से फरियादी शिवराम के मोबाईल नम्बर 8719010576 पर अनाम सूचना द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित करने के कारण भादवि की धारा 507 का आरोप है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी ने आरोपी से दिनांक 30.03.2016 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(2) का आवेदन पेश कर राजीनामा करने की अनुमति चाही थी किन्तु अशमनीय अपराध होने के कारण उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।

3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.2015 को फरियादी शिवराम ने थाना अंजड में आरोपी के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 08.02.2015 को सुबह लगभग 9:30 बजे उसके मोबाईल नम्बर 8719010576 पर एक अज्ञात व्यक्ति ने जिसने अपना नाम कमल बताया उसके मोबाईल नम्बर 8889846652 से फोन किया, उसने पुरा नाम पता पूछा तो उसने उसे अपना नाम पता पूछने की बात पर से अश्लील गालिया दी और जान से मारने की धमकी दी, उसने फोन करने वाले का नाम पता किया तो कमल पिता दयाराम भील, निवासी ग्राम गांगली थाना मनावर, जिला धार का होना पाया गया, रिपोर्ट करने आया है उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड में रिपोर्ट 33/2015 पर दर्ज कर फरियादी एवं साक्षीगण के

कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी से उक्त मोबाईल जप्त कर कॉल विवरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लिया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— उपरोक्त अनुसार अभियुक्त को भादवि की धारा 507 का आरोप लगाकर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

5— प्रकरण में अब विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने दिनांक 08.02.2015 को सुबह लगभग 9:30 बजे धनगर कॉलोनी ठीकरी रोड अंजड में अपने मोबाईल नम्बर 8889846652 से फरियादी शिवराम के मोबाईल नम्बर 8719010576 पर अनाम सूचना द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया ?

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक—‘अ’ पर सकारण निष्कर्ष —

6— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी शिवराम (अ.सा.—1) ने कोई कथन नहीं किया है। साक्षी का एक कथन है कि एक वर्ष पूर्व उसके मोबाईल 8719010576 पर बार—बार फोन आ रहा था किन्तु फोन करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा था। वह उक्त फोन से परेशान हो गया था तथा उसने थाना अंजड में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट की जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने प्रदर्श पी 2 का नक्शा मौका बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसके मोबाईल करने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अश्लील गालिया दी थी तथा जाने से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके ससुर ने उनके स्तर पर पता कर उसे अभियुक्त का नाम बताया था उस आधार पर उसने पुलिस को फोन करने वाले व्यक्ति का नाम शंका के आधार पर प्रदर्श पी 1 में लिखाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है किन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण असत्य कथन कर रहा हूँ।

7— जगदीश कलमे (अ.सा.—2) का कथन है कि दिनांक 18.02.2015 को थाना अंजड में फरियादी शिवराम की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उसने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने फरियादी के कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी अथवा असत्य कथन कर रहा है।

8— सुरेश पाटीदार (अ.सा.—3) का कथन है कि थाना अंजड के अपराध क्रमांक

33/15 की विवेचना के दौरान प्रदर्श पी 2 का नक्शा मौका बनाया था, अभियुक्त से उसका मोबाईल सफेद रंग का झेन कंपनी का प्रदर्श पी 4 के अनुसार जप्त किया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने, पुलिस अधीक्षक बड़वानी को प्रदर्श पी 5 का पत्र भेजकर कॉल विवरण प्रदर्श पी 7 लगायत प्रदर्श पी 12 प्राप्त करने के संबंध में कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने उसे फोन पर गालियां देने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सूझाव से भी इंकार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

9— प्रकरण में राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। इस स्थिति में जबकि फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा करने हेतु आवेदन न्यायालय में पेश किया और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही तथा पक्ष विरोधी रहा है इस स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी की साक्ष्य के अभाव में उक्त अपराध या अन्य कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

10— अतः अभियुक्त कमल पिता दयाराम भील, निवासी ग्राम गांगली थाना मनावर को फरियादी शिवराम पिता मिश्रीलाल के विरुद्ध किये गये भारतीय दंड संहिता की धारा 507 के अपराध में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्त सम्पत्ति झेन कंपनी का मोबाईल अपील अवधि पश्चात अभियुक्त को वापस किया जाये। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.